जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 16 संख्याः 235 प्रभात चूरू, रविवार 22 दिसम्बर, 2024 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

राहुल की समूची राजनीति ओ.बी.सी. दलित और अल्पसंख्यकों पर केन्द्रित है

इसलिए वे आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाना चाहते हैं

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर। भाजपा के गृहमंत्री तथा सरकार में नं. दो अमित शाह ने जिस तरह डॉ. बी.आर. अम्बेडकर का अपमान किया है, उस पर कांग्रेस एक विस्तृत राष्ट्रव्यापी और तूफानी हमला करने की योजना बना रही है। इस सिलसिले में, प्रैस कॉन्फ्रेंस होंगी, धरने होंगे, विरोध प्रदर्शन होंगे तथा उसके बाद, सी.डब्ल्यू.सी. की मीटिंग होगी, जिसमें इस पर तथा अन्य मुद्दों पर आगे की योजना बनाई जायेगी।

संसद में विरोध प्रदर्शन वाले दिन, भाई-बहन (राहुल और प्रियंका गांधी) नीले रंग के वस्त्र पहने हुये थे, जो दलित-उत्थान का प्रतीक है। इसी रंग के वस्त्र अम्बेडकर तथा कांशी राम पहना करते थे, जो दलितों को सशक्त बनाकर, उन्हें राजनैतिक मुख्यधारा में लाये थे।

- कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कई वरिष्ठ नेता और ए.आई.सी.सी. के मध्यम दर्जे के नेताओं में राहुल गांधी की राजनीति को लेकर काफी बेचैनी है। इन नेताओं को लगता है कि इससे सवर्ण वोट पार्टी से पूरी तरह विमुख हो जाएंगे।
- इन नेताओं का कहना है कि दलितों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि, इन्होंने कांग्रेस को त्याग दिया है, जैसा हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में हुआ था।
- कांग्रेस के सवर्ण नेता व कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल सवर्णों, ओ.बी.सी., दलितों व अल्पसंख्यकों के बीच संतुलन बिठाएं, पर लगता है राहुल उनकी नहीं सुन रहे हैं।

राहुल और प्रियंका ने अपना राजनैतिक एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट बना लिया है। इसमें सबसे ऊपर जातीय जनगणना है, और उसके बाद उस राजनीति का नम्बर है, जो राहुल करना चाहते हैं।

इसके अलावा, उनका जोर दलितों का जोरदार समर्थन करने पर होगा।

राहुल की पूरी राजनीति अब ओ.बी.सी., दलितों तथा अल्पसंख्यकों पर केन्द्रित है और वे चाहते हैं कि आरक्षण बढ़कर, 50 प्रतिशत को पार कर जाये।

सी.डब्ल्यू.सी. के बहुत से वरिष्ठ नेताओं के साथ, मध्यम श्रेणी के नेताओं में राहुल गांधी की इस राजनीति को लेकर काफी बेचैनी है। उनका मत है कि यह नीति ऊँची जातियों को कांग्रेस से बिल्कुल दूर कर देगी, तथा दलितों पर भरोसा नही किया जा सकता, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया है, जैसा हरियाणा और महाराष्ट्र में हुआ।

कांग्रेस के ऊँची जातियों के नेता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल संतुलन बनाये रखें, लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल उनकी नहीं सुन रहे हैं।

एल.पी.जी. टैंकर ब्लास्ट में हाई कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया

जयपुर, 21 दिसंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर-अजमेर हाईवे पर भांकरोटा के पास एलपीजी टैंकर ब्लास्ट की घटना पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया है। इसके साथ ही, अदालत ने आपदा प्रबंधन मंत्रालय, पेट्रोलियम सचिव और मुख्य सचिव सहित अन्य से जवाब तलब किया है। वहीं, अदालत ने प्रकरण को जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई के लिए संबंधित खंडपीठ के समक्ष दस जनवरी को सूचीबद्ध करने को कहा है। अदालत ने इस मुद्दे पर केन्द्र और राज्य सरकार

- केन्द्र व राज्य सरकार से इस मुद्दे पर उठाये गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी।

से उठाए गए कदमों की जानकारी भी मांगी है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश दिए।

अदालत ने केन्द्र और राज्य सरकार से बताने को कहा है कि क्यों न इस हादसे के दोषी अफसरों के खिलाफ जांच कर इसमें लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाए। वहीं, अत्यधिक ज्वलनशील रसायन व गैस के गोदाम आदि को घनी आबादी क्षेत्र से दूर किया जाए। अदालत ने अधिकारियों से यह भी पूछा है कि क्यों न पुलों एवं ओवरब्रिजों के निर्माण कार्यों को तय समय में पूरा करने के लिए कदम उठाए जाएं और ज्वलनशील गैस व रसायनों के परिवहन के लिए एक पृथक रास्ता मुहैया कराने पर भी पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। अदालत ने केन्द्र और राज्य सरकार के संबंधित विभागों को बताने को कहा है कि क्यों न घटना के मृतकों, घायलों

(शेष पृष्ठ 5 पर)

आप और जद (यू) के बीच छिड़ा शब्द युद्ध

अंबेडकर के मुद्दे पर केजरीवाल की चिट्ठी से भड़की जद (यू)

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर। अंबेडकर के बारे में गृह मंत्री अमित शाह की "अपमानजनक टिप्पणियों" को लेकर भाजपा तथा उसके दो प्रमुख सहायक दलों, तेलगू देशम पार्टी (टी.डी.पी.) तथा जनता दल (यू) के बीच दरार पैदा करने की अरविंद केजरीवाल की चाल के बाद, दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है।

शाह की टिप्पणियों को लेकर बढ़ते विवाद के बीच, आम आदमी पार्टी के कन्वीवर अरविंद केजरीवाल ने टी.डी.पी. चीफ चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि संविधान के निर्माता के विरुद्ध गृह मंत्री अमित शाह की अपमानजनक टिप्पणियों के बाद उन्हें अपने आपको भाजपा से अलग कर लेना चाहिए।

इस संबंध में अपना रूख स्पष्ट करने के बजाय टी.डी.पी. चुप रही, जबकि जद (यू) ने जवाबी हमला करते हुए केजरीवाल पर, दलितों को प्रतिनिधित्व नहीं देने का आरोप लगाया।

दोनों नेताओं को लिखे अपने पत्रों में केजरीवाल ने टी.डी.पी. व जद (यू) से आग्रह किया था कि वे भाजपा के साथ अपनी पार्टनरशिप के बारे में पुनः विचार करें। केजरीवाल ने कहा, "जो लोग अंबेडकर से प्यार करते हैं, वे भाजपा का समर्थन नहीं कर सकते, जिसने अंबेडकर का अपमान किया है।

- जद (यू) के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि एक भ्रष्ट पार्टी को कुमार जैसे नेता को सलाह देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने केजरीवाल पर दलितों को प्रतिनिधित्व नहीं देने का आरोप लगाया।
- केजरीवाल ने अंबेडकर पर शाह की टिप्पणी के खिलाफ जद (यू) प्रमुख व तेलुगू देशम प्रमुख को पत्र लिखा था और भाजपा से गठबंधन तोड़ने की अपील की थी।
- इस मुद्दे पर जहाँ तेलुगू देशम ने चुप्पी साध रखी है वहीं जद (यू) ने आम आदमी पार्टी पर करारा हमला बोला।

जद (यू) वर्किंग प्रैसिडैंट तथा राज्यसभा सदस्य, संजय झा ने पलटवार किया तथा केजरीवाल की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया। झा ने कहा कि "भ्रष्टाचार के आरोपों" से दूषित पार्टी को नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को सुझाव देने का अधिकार नहीं है।

झा ने केजरीवाल पर, हाशिए पर पड़े अधिकार विहीन वर्गों को नज़रअंदाज़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि आप ने दलित और पिछड़े वर्गों के एक भी नेता को राज्यसभा में नहीं भेजा। उन्होंने केजरीवाल पर आरोप लगाया कि दलित नेता को पंजाब का उपमुख्यमंत्री बनाने का अपना वादा भी केजरीवाल ने पूरा नहीं किया।

झा ने आगे कहा, नीतीश कुमार ने 2014 में महादलित जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। उन्होंने कहा कि इण्डिया ब्लॉक के साथ गठबंधन के समय नीतीश कुमार ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया था और यह भी कि ब्लॉक के अन्य पार्टनरों से उन्हें इस मुद्दे पर बहुत कम समर्थन मिला था।

झा ने यह भी कहा कि दो दलित मंत्रियों ने केजरीवाल के मंत्रिमंडल से यह कहते हुए इस्तीफा दिया कि उनके लोगों के हितों की अनदेखी की जा रही थी। झा ने कहा कि "2020 में, जब कोविड महामारी अपने चरम पर थी, उस समय केजरीवाल ने बिहार के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, जबकि उस आपदा के समय नीतीश कुमार ने ऐसे लोगों के लिए हर तरह के इंतजाम किए थे।"

क्रेडिट कार्ड बकाया के भुगतान से 30 प्रतिशत ब्याज की सीमा हटाई सुप्रीम कोर्ट ने

सुप्रीम कोर्ट ने 2008 के नैशनल कंज़्यूमर डिस्प्यूट्स रीड्रैसल कमीशन के आदेश को रद्द किया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने नैशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रीड्रैसल कमीशन के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें बैंकों को क्रेडिट कार्ड के बकाया या 30 प्रतिशत ब्याज वसूली की सीमा लगाई गई थी। जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और सतीश चन्द शर्मा की बैंच ने आयोग के 2008 के फैसले को रद्द कर दिया, जिसके तहत कहा गया था कि क्रेडिट कार्ड यूजर्स से बकाया पर 30 प्रतिशत से ज्यादा ब्याज वसूलना गलत ट्रेड प्रैक्टिस है।

कोर्ट ऐसी याचिका की सुनवाई कर रही थी, और अब आर.बी.आई. मामले में दिए गए आयोग के निर्णय को चुनौती देती है, जिसमें आयोग के समक्ष सवाल था कि क्या बैंकों के भुगतान में देरी होने से क्रेडिट कार्ड पर 36 से 49 प्रतिशत तक ब्याज लगाना ठीक है, क्या ऐसी ब्याज दरों को सूद खोरी माना जाएगा

- रिड्रैसल कमीशन ने 2008 के फैसले में क्रेडिट कार्ड बकाया के भुगतान पर 36 से 49 प्रतिशत ब्याज वसूली को सूद खोरी बताया था और ब्याज की सीमा 30 प्रतिशत तय कर दी थी।
- कमीशन के फैसले के खिलाफ दायर बैंकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आयोग का फैसला पलट दिया।
- इस फैसले से ग्राहकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, अगर उन्होंने निर्धारित समय पर क्रेडिट कार्ड का बकाया नहीं चुकाया तो।

और क्या रिज़र्व बैंक को, बैंकों/गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों/पैसा उधार देने वालों को किसी विशिष्ट ब्याज दर से अधिक ब्याज लेने से रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी करना चाहिए।

रिज़र्व बैंक ने कहा कि हालांकि उसने बैंकों को निर्देश दिया है कि जरूरत से ज्यादा ब्याज दर न ली जाए, लेकिन उसकी नीति ब्याज दरों को नियंत्रित करने की नहीं है। इसलिए यह मामला बैंकों के बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स के सुपुर्द कर दिया गया है। इसलिए आर.बी.आई. को निर्देश जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह 1949 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत एक विवेकाधीन शक्ति है।

'वाहनों के अवधि पार फिटनेस नवीनीकरण में अतिरिक्त फीस अवैध'

जयपुर, 21 दिसंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कमर्शियल वाहनों के अवधि पार फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण के लिए पचास रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त फीस वसूलने के प्रावधान को कानून की नजर में गलत मानते हुए, उसे अवैध घोषित कर कर दिया है। इसके साथ ही, अदालत ने कहा है कि

- वाहनों पर अवधि पार नवीनीकरण में 50 रूपये प्रतिदिन की अतिरिक्त फीस वसूलने के प्रावधान को अवैध घोषित किया।

याचिकाकर्ताओं से फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए देरी के आधार पर अतिरिक्त फीस वसूल नहीं की जाए। चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने ये आदेश श्याम प्रकाश मीणा व 195 अन्य याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता सतीश खंडेलवाल और अधिवक्ता रजनी व्यास ने अदालत को बताया कि केन्द्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत, 4 अक्टूबर, 2021 को

(शेष पृष्ठ 5 पर)

'24 दिसम्बर को देश भर में अंबेडकर के सम्मान में और शाह के खिलाफ प्रदर्शन होगा'

कांग्रेस और बसपा ने अपने-अपने कार्यक्रम घोषित किए

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने आज घोषणा की कि बाबा साहेब अम्बेडकर पर केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह की हाल ही की टिप्पणी को लेकर 24 दिसम्बर को पूरे देश में विरोध- प्रदर्शन किया जायेगा।

जहाँ बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने घोषणा की है कि संसद में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर पर केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बयान के विरोध में 24 दिसम्बर को देशव्यापी प्रदर्शन किया जायेगा, वहीं कांग्रेस महासचिव तथा संगठन प्रभारी के.सी. वेणुगोपाल ने कहा है कि पार्टी का विरोध-प्रदर्शन, जिसमें शाह के इस्तीफे की माँग की जा रही है, जारी रहेगा तथा वे (कांग्रेस) "मनुस्मृति-पूजकों" के विरोध में, अम्बेडकर की विरासत की सुरक्षा के लिये संघर्ष करेंगे।

मायावती ने कहा, "अमित शाह ने बाबा साहेब का अपमान करके, जनता के हृदय को आघात पहुँचाया है। इतने महान व्यक्ति के खिलाफ बोले गये शब्दों के कारण, पूरे देश की जनता नाराज एवं उत्तेजित है।"

- कांग्रेस के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने अंबेडकर सम्मान सप्ताह मनाने की घोषणा करते हुए कहा, मनुस्मृति के उपासकों के खिलाफ अंबेडकर की विरासत को बचाने के लिए और शाह का इस्तीफा मांगने के लिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा।
- मायावती ने एक्स पर कहा, हमने कहा अमित शाह माफी मांगे और अपने शब्द वापस लें, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया इसलिए हम 24 दिसम्बर को देश भर में उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे।
- कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने कहा कि 22 और 23 दिसम्बर को कांग्रेस के सभी नेता सांसद अपने क्षेत्रों में प्रैस कॉन्फ्रैंस करेंगे और 24 दिसम्बर को देश में अंबेडकर सम्मान मार्च आयोजित किए जाएंगे।

शनिवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक बयान में, मायावती ने लिखा, "बसपा ने माँग की थी कि अमित शाह को, अपना बयान वापस लेकर, पश्चाताप करना चाहिये, लेकिन उन्होंने अब तक क्षमा-याचना नहीं की है।"

उन्होंने कहा, "ऐसी स्थिति में, बसपा ने 24 दिसम्बर को देशव्यापी विरोध करने का निर्णय लिया है। उस दिन सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध एवं प्रदर्शन किये जायेंगे।"

जैसी कि पहले सूचना दी जा चुकी है, कांग्रेस आगामी सप्ताह को "अम्बेडकर सम्मान सप्ताह" के रुप में मनायेगी। इसी सिलसिले में, वेणुगोपाल ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा है, "सभी कांग्रेस सांसद, वरिष्ठ नेता तथा कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सी.डब्ल्यू.सी.) के सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों तथा गृह जिलों में 22-23 दिसम्बर को प्रैस कॉन्फ्रेंसों का आयोजन करेंगे। 24 दिसम्बर को, हम सारे देश में बाबा साहेब अम्बेडकर सम्मान मार्च निकालेंगे तथा जिला कलेक्टरों के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे, जिसमें अमित शाह के इस्तीफे की माँग की जायेगी।"

वरिष्ठ कांग्रे नेता ने कहा कि सभी पार्टी कार्यकर्ता बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे, पद-यात्रा में सबसे

(शेष पृष्ठ 5 पर)